भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2584
(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 दिसंबर, 2015 को दिया जाना है)

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यकलापों पर व्यय की गई धनराशि</u>

2584. श्री भूपिंदर सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान कारपोरेट घरानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्वों तथा कार्यकलापों के भाग के रूप में देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल-कूद संबंधी गतिविधियों पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधान 01.04.2014 से प्रभावी हुए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा सीएसआर नीतियां लागू करने के लिए वर्ष 2014-15 पहला वर्ष था। इस अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पात्र कंपनी के बोर्ड द्वारा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर संबंधी वार्षिक जानकारी देना अनिवार्य है। कंपनियों द्वारा मंत्रालय में अभी अपनी वार्षिक रिपोर्टें फाइल की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन करने वाली कंपनियों का विवरण कंपनियों द्वारा अपेक्षित फाइलिंग के बाद उपलब्ध होने की आशा है।

*****